

गत दिनांक 30/03/2021 के दिन शिकायत करताने शिकायत दर्ज कारवाई थी की श्री बालाजी पेकेजिंग कंपनी, डाभेल नानी दमन के संचालक अमित रमेश अग्रवाल ने शिकायत करता को कंपनी को फंड की जरूरत बताकर शिकायत करता को जासा दिया की कंपनी की प्रोफिट मे से 50% लाभ आपको देंगे और शिकायत करता से लगभग 9300000/- (93 लाख) का चेक एवं केस रकम लेकर धोकाखाड़ी करके अमित रमेश अग्रवाल फरार हो गया ।

जिसके अंतर्गत नानी दमन पुलिस स्टेशन मे धारा 420,406 IPC के तहत गुन्हा दर्ज किया गया और आगे की तफतीश चालू रखते हुये दमन जिल्ला पुलिस के मार्गदर्शन में SHO, नानी दमन पुलिस स्टेशन के नेतृत्व में PSI स्वानद इनामदार एवं पुलिस स्टाफ की टीम बनाकर अपराध मे वंछीत अपराधी नामक अमित रमेश अग्रवाल उम्र-38 साल और अन्य एक आरोपी की तफतीश के लिए उतरप्रदेश भेजी गई लेकीन आरोपी वहा से मिले नही जिसके बाद दमन पुलिस की एक टीम कानपुर, उतरप्रदेश मे वॉच के लिए लगा रखी थी और वॉच के दरम्यान आरोपीका पता लगने पर PSI स्वानद इनामदार एवं पुलिस स्टाफ की टीम कानपुर, उतरप्रदेश जाकर अमित रमेश अग्रवाल उम्र-38 साल और अन्य एक आरोपी को धरदबोचा और उनको आगे की तफतीश के लिए दोनों अपराधी नानी दमन पुलिस स्टेशन लाया गया और माननीय न्यायालय कोर्ट साहब ने दिनांक 11/06/2021 तक पुलिस कस्टडी रीमाण्ड मंजूर की है और आगे की तफतीश दमन पुलिस द्वारा जारी रखी है।